[2021] 4 एस. सी. आर. 203

शीतल फाइबर्स लिमिटेड।

बनाम

इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 1105 ऑफ 2021)

अप्रैल 06,2021

[आर. एफ. नरीमन, बी. आर. गवई और हृषिकेश रॉय, न्यायाधिपतिगण]

कंपनी अधिनियम, 1956: धारा। 433 , 434 – ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें अदालत द्वारा कंपनी को समापन किया जा सकता है-तथ्यों पर, कंपनी याचिका कंपनी न्यायाधिकरण ने हालांकि स्वीकृत ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के लिए अपीलकर्ता-चूककर्ता कंपनी के समापन की मांग की

अपीलार्थी को खातों का हिसाब बराबर करने का एक और अवसर प्रतिवादी (उत्तरदाता) के संबंध में और विफलता के मामले में, उद्धरण प्रकाशित किया जाना था-अपील में, उच्च न्यायालय ने स्वीकार सूचना के प्रकाशन पर रोक लगा दी, बशर्ते कि अपीलार्थी बकाया राशि का भुगतान करे। प्रतिवादी (उत्तरदाता) और अपीलार्थी के बकाया राशि का भुगतान राशि, और कोई lnHkkoiwoZd विवाद नहीं होने के कारण, अपील को खारिज कर दिया गया, हालांकि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी भी ब्याज भुगतान के लिए ¼प्रतिवादी½ का दावा कंपनी न्यायाधीश को किया जा सकता है-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: कंपनी अदालत समापन की कार्यवाहीयों में चूक पर निर्णय नहीं ले सकती है। -यदि ऋण lnHkkoiwoZd विवादित है और बचाव lkjHkwr मुद्दा है, तो अदालत कंपनी का समापन नहीं करेगी-जहां ऋण निर्विवाद है, अदालत इस बचाव पर कार्रवाई नहीं करेगी कि कंपनी के पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन कंपनी उस विशेष ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनती है-इसके आगे bl सिद्धांत पर अदालत को कार्य करना है कि कंपनी का

बचाव lnHkkoiwoZd lnHkkoh vkSj LojHkwy gS, बचाव पक्ष को कानून के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव पक्ष निर्भर करता है, और यह सब इस वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगा कि मामले के तथ्य orZeku मामले में, कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी के बचाव को सद्भावना और lkjHkwr नहीं कहा जा सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 यदि ऋण वास्तविक रूप से विवादित है और बचाव पर्याप्त है, तो अदालत कंपनी का समापन नहीं करेगी। यह समान रूप से तय किया गया, कि जहां ऋण निर्विवाद है, अदालत इस बचाव पर कार्रवाई नहीं करेगी कि कंपनी के पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है, लेकिन कंपनी उस विशेष ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनती है। यह समान रूप से तय किया गया है कि जिन सिद्धांतों पर अदालत कार्य करती है, पहले हैं, कि कंपनी का बचाव lnHkkoh में है और एक तथ्यों पर है, दूसरा, बचाव को तथ्यों के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और तीसरा, कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव पक्ष निर्भर करता है। इस बारे में कि क्या किसी कंपनी का बचाव सद्भावना में है या क्या यह एक सार है और क्या यह कानून के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और क्या कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव निर्भर करता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

[पैरा 9,10] [209-जी-एच; 210-ए-सी]

1.2 यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ [k.MU;k;k/kh'k दोनों ने vfHkys[k ij izLrqr lkefxz;ksa dh

foospuk djus ds i'pkr ik;k fd प्रतिवादी (उत्तरदाता) द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता के दोषपूर्ण होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा उठाया गया बचाव iwoZ fopkfjr था। [k.M U;k;k/kh'k ने पाया कि जब अपीलार्थी ने गुणवत्ता के बारे में विवाद उठाया, तो उसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया और यह ¼ क्रेडिट ½ vU; dksbZ अनुदान द्वारा उसके आचरण में परिलक्षित हुआ। ;g ns[kk x;k fd प्रतिवादी ने drZO; dks उचित रूप से स्वीकार किया था और यह मान लेना उचित था कि यदि कोई अन्य दोष थे, तो उसने किसी न किसी तरीके से उन्हें दर्ज किया होगा। [k.M U;k;k/kh'k ने आगे पाया कि अपीलार्थी के मामले को स्वीकार करना मुश्किल था, कि दोषपूर्ण सामग्री के संबंध में चर्चा केवल मौखिक थी। इसने आगे पाया कि वैधानिक नोटिस के जवाब में मौखिक समझौते के ckjs esa कोई उल्लेख fcYdqy नहीं था। [k.M U;k;k/kh'k ने आगे पाया कि अपीलार्थी का यह तर्क कि प्रतिवादी द्वारा आपूर्ति किए गए दोषपूर्ण कच्चे माल का उपयोग करके निर्मित माल को डीलरों द्वारा वापस किया गया है और इस तरह अपीलार्थी को कोई नुकसान हुआ है, किसी भी दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं था था। leorhZ यह भी पाया गया कि vihykFkhZ dk cpko lnHkkuh ugh Fkk vkSj u gh okLrfod FkkA rF;ksa ij ;g Hkh ik;k x;k fd अपीलार्थी ने प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे को विफल करने के लिए विरोधाभासी रुख अपनाया था। समवर्ती रूप से यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता अपने द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा [पैरा 19,20] [215-एफ-एच; 216-ए-डी]

1.3 जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का संबंध है कि अपीलार्थी एक dk;Zjr कंपनी थी जो लाभ में चल रही थी और प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे को उसने स्वीकार नहीं किया था, यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है।[पैरा 2111] [216-Mh&bZ]

[पैरा 21] [216-डी-ई]

1.4 orZeku मामले में, खंड पीठ ने प्रतिवादी (उत्तरदाता) द्वारा किए गए दावे के अनुसार ब्याज देने का निर्देश जारी नहीं किया है। इसके विपरीत, इसने इस प्रश्न

में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है कि क्या अपीलार्थी भी तब से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था tcfe कंपनी के न्यायाधीश ने उक्त fcUnq dk उल्लेख नहीं किया था। इसलिए खंड U;k; पीठ ने अपील को खारिज करते हुए, ब्याज के संबंध में प्रतिवादी (उत्तरदाता) के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया है, जिसका दावा या तो विद्वान न्यायाधीश के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के माध्यम से या अपील के माध्यम से या किसी अन्य कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है। [पैरा 25] [219-सी-ई]

1.5 कंपनी न्यायालय के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी अधिनियम की धारा 433 और 434 यह निर्णय लेने की स्थिति में नही होगी कि निपटान विलेख के नियम, शर्तो और समझौता विलेख का अनुपालन न करने में गलती किसी थी। तथ्यों की विस्तृत जॉच, साक्षयों की जॉच, विभिन्न शर्तों की व्याख्या-निपटान विलेख तथा किए गए समझौते की शर्तों के दावे पर बात-चीत आवश्यक थी, जो कि धारा 434 की कार्यवाही में नही किया जा सका। [पैरा 27] [220-डी]

1.6 कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ खंड U;k; पीठ ने पाया है कि अपीलार्थी के बचाव को प्रामाणिक एवं ईमानदार नही कहा जा नही कहा जा सकता

[पैरा 28] [220-सी-डी]

मेडिकिप सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रॉक्सिमा मेडिकल सिस्टम जीएमबीएच (2005) 7 एससीसी 42: [2005] 2 एस. सी. आर. 1015; विजय इंडस्ट्रीज बनाम एन. ए. टी. एल. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2009) 3 एस. सी. सी. 527 [2008] 17 एस. सी. आर. 972; आई. बी. ए. हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम सूचना-ड्राइव सिस्टम एस. डी. एन. बीएच. डी. (2010) 10 एससीसी 553 [2010] 12 एससीआर 137-¼ सुभिन्नत ½।

ए. मधुसूदन गोरधनदास एंड कंपनी बनाम मधु वूलन इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (1971) 3 एस. सी. सी. 632: [1972] 2 एस. सी. आर. 201-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

बी [1972] 2 एससीआर 201 संदर्भित किया गया है पैरा 8

[2005] 2 एससीआर 1015 सुभिन्नत पैरा 22

[2008] 17 एससीआर 972 सुभिन्नत पैरा 24

[2010] 12 एससीआर 137 सुभिन्नत पैरा 26

सी. सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1105 ऑफ 2021

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के कंपनी अपील संख्या 58 ऑफ 2015 (ओ एंड एम) में उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 29.04.2016 से

डी. करण नेहरा, हिमांशु गुप्ता, मनोज सी. मिश्रा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

तरुण गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाता के अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

ई. **बी. आर. गवई, जे.**

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कंपनी अपील संख्या 2015 की 58 esa ikfjr fu.kZ; vkSj vkns’k fnukad 29-04-2016 dks pqukSrh nsrh gS जो उक्त न्यायालय के विद्वान कंपनी न्यायाधीश }kjk की कंपनी याचिका No.106 दिनांक 28.9.2015 ls mRiUu gksrk gSA

3. संक्षेप में, वर्तमान अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

प्रतिवादी(उत्तरदाता) - मेसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड ,djsfyd /kkxks dh निर्माता

है। जिसकी निर्माण इकाई जिला संगरूर के गांव हरकिशनपुरा में है। अपीलार्थी- मेसर्स शीतल फाइबर्स लिमिटेड और प्रतिवादी(उत्तरदाता) - मेसर्स इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड के बीच एक लेनदेन था जिसके तहत प्रतिवादी(उत्तरदाता) को lk[k के आधार पर अपीलार्थी को ऐक्रेलिक धागे की आपूर्ति करनी थी। उक्त समझौता के अनुसार, कच्चे माल की आपूर्ति 20. 4. 2007 से शुरू हुई। प्रतिवादी (उत्तरदाता) ने 81,98,014. 45 रुपये की सामग्री की आपूर्ति की। प्रतिवादी (उत्तरदाता) द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए थे। इस प्रकार, 6,22,073 / -रुपये प्रतिवादी (उत्तरदाता) द्वारा वापस की गई सामग्री के कारण अपीलार्थी के खाते में जमा किया गया था और गुणवत्ता में कुछ दोष के कारण रुपये 5,00,000/- का lk[k नोट भी दिया गया था। प्रतिवादी (उत्तरदाता) के अनुसार, अपीलार्थी ने Rs.61,83,218/- का भुगतान किया था। हालाँकि, 28.7.2008 तक रुपये. 8,92,723/- का बकाया था। चूंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी(उत्तरदाता) ने अपीलार्थी को एक वैधानिक नोटिस जारी किया। इसका भी उचित जवाब दिया गया। चूंकि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस दिए जाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए प्रतिवादी (उत्तरदाता) ने स्वीकृत ऋणों का भुगतान करने में असमर्थता के लिए वर्तमान अपीलार्थी को समापन करने की मांग करते हुए उपरोक्त कंपनी याचिका दायर की। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने दिनांक 28.9.2015 के आदेश द्वारा स्वीकृत कंपनी याचिका को स्वीकृत किया. हालाँकि, ऐसा करते समय, विद्वान कंपनी न्यायाधीश us dgk चूंकि अपीलकर्ता oknh lEcnrk dk fo"k; Fkk] प्रतिवादी

(उत्तरदाता ds lkFk fglkc&fdrko fuiVkus dh vuqefr nh tkuh चाहिए 31.12.2015. केवल समझौता न हो पाने की स्थिति में ही उद्धरण को प्रकाशित किये जाने का निर्देश दिया जाता था

इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील की 24.12.2015 के आदेश द्वारा,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने नोटिस जारी करते हुए Lohd`r सूचना के प्रकाशन पर रोक लगा दी, बशर्ते कि अपीलार्थी 31.12.2015 द्वारा प्रश्नगत राशि का भुगतान करे। तदनुसार, राशि का भुगतान अपीलार्थी द्वारा किया गया था।

हालांकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कोई lnHkkouk lnHkkoh विवाद का कोई सवाल ही नहीं था

प्रतिवादी (उत्तरदाता) को राशि चुकाने का निर्देश देने के लिए dksbZ loky ugh Fkk, क्योंकि अपीलार्थी ने अपील में आक्षेपित आदेश में उल्लिखित सीमा तक प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे को संतुष्ट कर दिया था vkSj अपील को खारिज कर दिया।

तथापि, जहाँ तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के संबंध में प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे का संबंध है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस प्रश्न में प्रवेश करना आवश्यक नहीं पाया कि क्या अपीलार्थी प्रतिवादी (उत्तरदाता) को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि कंपनी न्यायाधीश ने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि, खंड पीठ ने स्पष्ट किया कि अपील को खारिज करना हित के संबंध में प्रतिवादी(उत्तरदाता) के तर्क पर पूर्वाग्रह के बिना था, जिसका दावा या तो विद्वान न्यायाधीश के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के माध्यम से या अपील के माध्यम से या किसी अन्य कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है।

इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

4. अपीलार्थी की ओर से vihydrkZ उपस्थित विद्वान वकील Jh करण नेहरा ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का बचाव एक lnHkkoriwoZd था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अपीलकर्ता का एक विशिष्ट मामला था प्रतिवादी(उत्तरदाता) , द्वारा आपूर्ति की गई दोषपूर्ण सामग्री dks विवरण भारी नुकसान हुआ था और इस प्रकार, यह अपीलकर्ता ही था प्रतिवादी(उत्तरदाता) से हर्जाना प्राप्त करने का हकदार है। उन्होंने प्रस्तुत किया, वह विशिष्ट सुरक्षा की दृष्टि से जिसे cpko i{k dk cpko lgh नहीं कहा जा सकता बचाव पक्ष, विद्वान कंपनी न्यायाधीश कंपनी याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था उन्होंने प्रस्तुत किया, कि प्रतिवादी(उत्तरदाता) का दावा ugh हो सकता है तब भी कायम नहीं रहेगा O;ogkj izfdz;k ds ;kf;Ro oknh lafgrk ds v| iz=qo fd;k x;k gS सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का XXXVII। उन्होंने प्रस्तुत कियाA mlus dgk fd daiuh अधिनियम, 1956 की धारा 433(ई) और (एफ) के तहत आवश्यकताएँ (इसके बाद इसे "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) बहुत ऊंचे स्थान पर है कुरसी और इस प्रकार, विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने ;kfpdk स्वीकार करने में गलती की है. उन्होंने प्रस्तुत किया, इसी कारण से, [k.M U;k;kf/k'k us Hkh विद्वान कंपनी के निर्देशों में हस्तक्षेप न करके भी गलती की og vkxs dgrs gS fd vihydrkZ us fo}ku dEiuh U;k;ky; ds le{k viuk :[k oS|kfud uksfVl ds mRrj esa fn;s x;s :[k ls iwjh rjg cny fn;k FkkA

5. श्री नेहरा ने आगे कहा कि चूंकि शेष राशि/विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा ब्याज के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार करने के लिए जारी किया गया निर्देश कानून की जांच के दायरे में नहीं आता है।

6. श्री नेहरा मेडीकिप सिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम प्रॉक्सिमा मेडिकल सिस्टम जीएमबीएच ', विजय इंडस्ट्रीज बनाम एनएटीएल टेक्नोलॉजीज लि0 और आईबीए हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंफो-ड्राइव सिस्टम एसडीएन। बीएचडी पर fuHkZj fd;kA

7. Jh तरूण गुप्ता, प्रतिवादी की ओर से आए विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चूँकि अपीलकर्ता, विभिन्न सुनवाई में प्रतिवादी द्वारा भुगतान करने का अनुरोध करते हुए भेजे गए laokn के बावजूद बकाया राशि भुगतान में असफल रहे। उक्त धारा 433 ई के साथ पठित धारा 434 के तहत नोटिस की मांग वैद्यानिक कार्यवाही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नोटिस अपीलकर्ता को विधिवत तामील कराया गया था

और जवाब भी दिया। अस्पष्ट इनकार करने और यह कहने के अलावा कि प्रतिवादी का दावा रिकॉर्ड का विषय है, कोई विशिष्ट बचाव नहीं किया गया था।

इसलिए वह प्रस्तुत करता है, कि विद्वान कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच भी उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि अपीलार्थी का बचाव प्रामाणिक नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो ldrhaA

8. मधुसूदन गोरधनदास एंड कंपनी बनाम के मामले में यह न्यायालय। मधु वूलन इंडस्ट्रीज प्रा. Ltd.4, इस प्रकार कहा है कि

"20. दो नियम अच्छी तरह से तय हैं. सबसे पहले, यदि ऋण वास्तविक है विवादित है और बचाव पर्याप्त है, आदालत कंपनी समापन नही करेगी. कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया है समापन जहां लेनदार ने dEiuh बेची गई वस्तुओं के लिए राशि का दावा किया और कंपनी ने तर्क दिया कि कोई कीमत r; नहीं थी ij dksbZ dher ;k jkf'k ij lgefr ugh gqbZ FkhA ऋणदाता द्वारा मांगी गई राशि थी अनुचित. (लंदन और पेरिस बैंकिंग कॉर्पोरेशन देखें [(1874) एलआर 19 समीकरण 444]) iqu% ,d ;kfpdk ysunkj ds }kjk dEiuh ds lekiu ds fy, nkf[ky dh xbZ ftlesa ysunkj ls fd;s x;s dk;Z ds fy, iwoZ fu/kkZfjr jkf'k dh dEiuh ls euk fd;kA blesa dEiuh }kjk rdZ fd;k x;k fd dk;Z Bhd <ax ls ugh fd;k x;k blfy, ;g ;kfpdk [kkjht fd;k] Lohd`r ugh fd;k x;kA

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड
209

[बी। आर. गवई, जे.]

(रे. ब्राइटन क्लब और देखें हॉरफ़ोल्ड होटल कंपनी लिमिटेड [(1865) 35 बीव 204])

21. जहाँ ऋण निर्विवाद है, न्यायालय उस बचाव पर कार्रवाई नहीं करेगा - कंपनी के पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है लेकिन कंपनी उस विशेष ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनती है, री देखें। एक कंपनी। [94 एस. जे. 369] जहाँ हालाँकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी ऋणदाता को एक ऋण देती है जो उसे समापन आदेश का हकदार बनाती है, लेकिन सही ऋण की राशि विवादित है, अदालत ऋणदाता को ऋण की सटीक मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता के बिना समापन आदेश देगी री ट्वीड्स गैरेज लिमिटेड देखें। [1962 सीएच 406] जिन सिद्धांतों पर अदालत कार्य करती है, वे हैं पहले कि कंपनी का बचाव सद्भावना से है और एक सार है, दूसरा, बचाव पक्ष के कानून के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और तीसरा, कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव निर्भर करता है।"

9. इसलिए यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि ऋण प्रामाणिक रूप से विवादित है और बचाव एक lkjHkwr है, तो अदालत कंपनी dk lekiu नहीं करेगी। ;g iwoZ ls fu/kkZfjr fd;k x;k gS fd

अदालत इस बचाव पर कार्रवाई नहीं करेगी कि कंपनी के पास ऋण का भुगतान करने की क्षमता है लेकिन कंपनी उस विशेष ऋण का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनती है। यह समान रूप से तय किया गया है कि जिन सिद्धांतों पर अदालत कार्य करती है, वे पहले हैं, कि कंपनी का बचाव सद्भावना में है और एक lkjHkwr है, दूसरा, बचाव कानून के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और तीसरा, कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव पक्ष निर्भर करता है।

10. इस बारे में कि क्या किसी कंपनी का बचाव सद्भावना में है या के रूप में

यह कि क्या यह एक lkjHkwr है और क्या इसके कानून के दृष्टिकोण से सफल होने की संभावना है और क्या कंपनी उन तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करती है जिन पर बचाव निर्भर करता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

11. वर्तमान मामले में, 25.8.2008 दिनांकित dkuwuh सूचना में, प्रतिवादी (उत्तरदाता)-कंपनी ने विशेष रूप से निम्नानुसार कहा है:

" 4. कि उस संबंध में Rs.35,14,776.30 का शेष बकाया राशि था। 25.8.2007 पर विभिन्न pykuksa के खिलाफ आपके खिलाफ शेष बकाया राशि निम्नलिखित चालानों के माध्यम से मेरे ग्राहक द्वारा आपको आपूर्ति की गई सामग्री:

क्रम सं0	चालान सं0	तिथि	राशि (रु.)
1	162	26.6.07	8,55, 370.65
2	177	30.6.07	8,66, 788.29
3	216	16.07.07	9,07, 891.19
4	300	25.8.07	8,84, 726.17
	कुल		35,14, 776.30

5. कि उक्त चालान के बाद किसी भी सामग्री की आपूर्ति मेरे ग्राहक dks dh xbZ और उपरोक्त राशि Rs.35,14,776.30 थी आप के द्वारा मेरे ग्राहक को देय। मेरे मुवक्किल ने आपसे विभिन्न संदेश के माध्यम से अनुरोध किया दिनांकित संचार 16.11.07, 22.11.07, 23.11.07, 26.11.07, 27.11.07, 28.11.07, 26.11.07 , 1.12.07 , 3.12.2007 , 5.12.2007 , 6.12.2007, 7.12.2007 , 8.12.2007 , 10.12.2007 , 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007 , 15.12.2007 , 17.12.2007 और 21.12.2007

उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान djus dk vuqjks/k fd;kA

6. उपरोक्त पत्रों/फैक्सों के जवाब में कोई संचार आप के द्वारा मेरे ग्राहक dks प्राप्त ugh gqvk gS किया गया है बल्कि आपने बनाया है चेक के माध्यम से रु. 15 लाख का एकमुश्त भुगतान, आपके द्वारा रु. 6,22,073.00 की सामग्री वापस

की गई की कीमत लगभग रु. 5 लाख का समायोजन lk[k नोट के माध्यम से बनाया गया था. जिसका विवरण इस प्रकार है

क्रम सं0	तिथि	विशिष्टताएँ	राशि (रु.)
1	29.9.07	सामग्री लौट आए।	6,22, 073.00
2	21.3.08	चेक संख्या 935641/ 20.3.08	4,00, 000.00
3	4.4.08	चेक संख्या 935692/ 31.3.08	6,00, 000.00
4	7.5.08	क्रेडिट नोट	5,00, 000.00
5	8.5.08	चेक संख्या 990459/ 7.5.08	5,00, 000.00
			26,22, 073.00

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड

211

[बी। आर. गवई, जे.]

mijksDr jkf'k : 26]22]073-00 ds izkflr Hkqxrku ds ckn fnukad 08-05-2008 dks मेरे मुवक्किल द्वारा आपसे dqy वसूली योग्य कुल राशि है प्राप्ति के बाद 8.5.2008 को 8,92,723.45 (8,92,703.30 + 20.15) रु. gS।

12. उक्त नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने इस प्रकार कहा है:

" 4.vkids uksfVl ds पैरा नं. 4 के उत्तर में। 4 आपके नोटिस के अनुसार, यह रिकॉर्ड का मामला है और यह मेरे ग्राहक के व्यावसायिक मूल्य के बारे में स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

5. vkids uksfVl ds पैरा नं. 5 के उत्तर में। 5 आपके नोटिस के अनुसार, यह रिकॉर्ड की बात है। हालाँकि, मेरे मुवक्किल की ओर से आपके मुवक्किल को कुछ भी बकाया नहीं है इसके विपरीत यह सत्य है जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है।

6. vkids uksfVl ds नोटिस का पैरा संख्या 6 सही नहीं है और इसका lgh वर्णन नहीं करता है, बल्कि इसके विपरीत आपके ग्राहक esjs मुवक्किल के पास आ रहा gS और रकम तय कर चुका Fkk और iPphl yk[k :i;s okil djus ds fy, rS;kj gks x;k ftlesa ls ikWp yk[k :i;s okil dj fn;k rFkk odk;k jkf'k okil ugh fd;k x;kA

7. vkids uksfVl dk पैरा संख्या 7 गलत है और सही नही है विस्तृत जवाब पहले ही पिछले पैरा में दिया जा चुका है।

13. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ 4 और 5 के जवाब में प्रतिवादी ने अपना दावा निर्दिष्ट किया है, केवल यही उत्तर दिया गया है कि यह रिकॉर्ड का मामला है और यह उसके ग्राहक के व्यवसाय मूल्य के बारे में दर्शाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि iSjk 6 में कहा गया है कि प्रतिवादी¼mRrjnkrk½ ने स्वयं अपीलकर्ता के पास आ रहा था और राशि का निपटान किया और 25 लाख रु. वापस करने के लिए सहमत हुआ जिसमें से 5 लाख वापस कर दिए।

14. कंपनी को दायर लिखित बयान के अवलोकन से याचिका से पता चलेगा कि अपीलकर्ता का मुख्य तर्क था, यह दावा कि यह मुनाफा कमाने वाली एक चालू कंपनी थी प्रतिवादी की बात को इसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि याचिका केवल अपीलकर्ता पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए दबाव डालने के लिए दायर की गई थी न तो स्वीकृत थे और न ही कानूनी रूप से देय थे।

15. लिखित बयान में यह भी कहा गया था कि 26.6.2007 तक प्रतिवादी द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि, 26.6.2007 के प्रभाव से यह देखा गया कि आपूर्ति किया गया कच्चा माल दोषपूर्ण था और mDr dPps eky dk tks leku cktkj esa cspk x;k Fkk कुछ शिकायतों के साथ वापस izklr किया गया था। यह कहा गया था कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 1 के

बाद के चालानों के माध्यम से आपूर्ति की गई वस्तुएँ दोषपूर्ण थीं और उक्त कच्चे माल (यानी ऐक्रेलिक धागे) का उपयोग करके अपीलकर्ता-कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दोषपूर्ण गुणवत्ता के कारण विक्रेताओं और आयातकों द्वारा वापस कर दिया गया था। यह कहा गया था कि अपीलकर्ता-कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी को दोषपूर्ण कच्चा माल वापस कर दिया था, जिसका उपयोग नहीं किया गया था। यह कहा गया था कि vihykFkhZ ने इसे स्वीकार किया था और अपीलार्थी के खाते में 622073 रुपये की राशि जमा की थी। यह आगे कहा गया है कि विभिन्न बैठकों और वार्ताओं के बाद, प्रतिवादी ने दोषपूर्ण सामग्री की आपूर्ति के कारण अपीलार्थी को 5 लाख रुपये का lk[ki= जारी करके क्षतिपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की। यह आगे कहा गया कि अपीलार्थी के खाते के अनुसार, सभी समायोजन करने के बाद प्रतिवादी (उत्तरदाता) से Rs.53,648/-की राशि izkIr djuh FkhA

16. विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने ijLij fojks/kh ds rdksZ dk voyksdu djus के बाद इस प्रकार टिप्पणी fd;k %

"8. izfroknh ds fo}ku vf/koDrk ds }kjk dksbZ nLrkost ugh fn;k x;kA कंपनी के द्वारा याचिकाकर्ता को लिखा गया - कंपनी गुणवत्ता में दोष के संबंध में. वैधानिक नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता - कंपनी द्वारा जारी किया गया रुख प्रतिवादी - कंपनी ने उत्तर दिया कि og dPpk eky ewY; : 2500000@& tks vkosnd dEiuh ds }kjk izfroknh dEiuh dks vkiwfrZ fd;k x;k Fkk [kjkc gkyr esa iM+k gqvk FkkA 25,00,000/- कंपनी के पास खराब हालत में पड़ा हुआ था और इसका उत्पादन में उपयोग नहीं किया जा सकता था। oknk के मुआवज़ा 25,00,000/- रुपये का lk[ki= केवल 5,00,000/- रुपये का दिया गया। जैसा याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए 8,92,723/- रुपये के दावे के विरुद्ध, एक राशि याचिकाकर्ता कंपनी पर 11,07,297/- रुपये jkf'k का बकाया है k प्रतिवादी - [kjkc /kkxs की वजह से हुए घाटे के कारण कंपनी आपूर्ति किये गये धागे की गुणवत्ता। उक्त रकम की मांग Hkh उठाया। याचिका के जवाब में जो रुख अपनाया

गया वह बिल्कुल अलग है। निस्संदेह, दोषपूर्ण सामग्री का मुद्दा उठाया गया था rFkk mDr [kkfe;ksa ds ckjs esa izfroknh dEiuh ds }kjk vkosnd dEiuh dks crk;k x;kA [kjkc xq.koRrk ds /kkxs ds vkiwfrZ fd;s tkus ds dkj.k izfroknh dEiuh ds uqd'kku gks tkus ds dkj.k, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद दोषपूर्ण था, जो विपणन योग्य नहीं था और उस कारण से, प्रतिवादी - कंपनी को घाटा हुआ। उत्पाद dks बाजार में बेच दिया गया, जिसे वापस लौटा दिया गया। कोई संचार उल्लेख ugh किया गया है, जिसे प्रतिवादी ने संबोधित किया था। आगे यह दावा करने की मांग की गई कि lk[ki= देने के बाद मई, 2008 में रु. 5,00,000/- पर याचिकाकर्ता - कंपनी सहमत हो गई खाते पर कुल चालान पर 50% की सीमा तक छूट दें दोषपूर्ण सामग्री का गणना निम्नलिखित शर्तें ij dh xbZ %

इनव सं0.162	8, 55,370.65 रुपये
इनव सं0. 177	8, 66,788.29 रुपये
इनव सं0. 216	9, 07,891.19 रुपये
इनव सं0. 300	8,84,726.17 रुपये

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड

213

[बी। आर. गवई, जे.]

कुलः	**35,14,776.30** रुपये
कमः सामान लौटा दिया गया।	6,22, 073.00 रुपये
संतुलन	28,92,703.30 रुपये
कमः 50 % छूट दें।	14,46,351.30 रुपये
देय शेष राशि	14,46,352.00 रुपये
पहले ही भुगतान किया जा चुका है।	15,00, 000.00 रुपये

अतिरिक्त भुगतानः **53, 648.00** रुपये

9.उपरोक्त गणना से यह स्पष्ट है कि है कि प्रतिवादी-कंपनी को याचिकाकर्ता-कंपनी से 53,648/- रुपये की राशि वसूल करनी है, जबकि नोटिस के जवाब में, दावा 11,07,297/- रुपये का था। यह और ;g mYys[k djuk प्रासंगिक है यहां यह जोड़ने के लिए कि याचिका के जवाब में, ; nksuks i{kksa esa lek/kku ds fy, ebZ 2008 esa gqvk ohtd esa NqV Fkk कहानी का निपटारा हुआ छूट को लेकर दोनों पक्षों के बीच मई 2008 में बातचीत हुई थी pyku मूल्य पर केवल ;kfpdk dks [kkfjt djus ds iwoZ fu/kkZfjr djuk gS क्योंकि वैधानिक उत्तर के समय ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी सितंबर, 2008 में नोटिस दिया गया था

10. उपरोक्त चर्चा ds voyksdu ls eSa ;g ugh ikrk gwW कि प्रतिवादी (उत्तरदाता)-कंपनी द्वारा उठाया गया बचाव उचित है क्योंकि ऋण को विवादित नहीं कहा जा सकता है, जिसका भुगतान वैधानिक नोटिस के बावजूद नहीं किया गया है और यहां तक कि इस अदालत में वर्तमान याचिका लगभग छह साल की अवधि से लंबित है। इसलिए, याचिका Lohd`r djus योग्य है।

स्वीकार करने के लिए। तदनुसार आदेश दिया गया। "

17. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कंपनी के विद्वान न्यायाधीश ने पाया है कि प्रतिवादी (उत्तरदाता) के उत्पादों की गुणवत्ता में दोष होने के संबंध में अपीलार्थी द्वारा लिया गया बचाव iwoZ ls py jgk gSA

क्योंकि इस तरह के विवाद के समर्थन में कोई दस्तावेज vfHkys[k ij izLrqr नहीं रखा गया था। यह आगे पाया गया कि जबकि नोटिस के जवाब में अपीलार्थी ने दावा किया था कि वह Rs.11,07,297/- की राशि की वसूली करने का हकदार था, tc rd लिखित विवरण में दी गई गणना में, राशि Rs.53,648/- है।

18. तथ्य के eUrO; की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ की है:

" 7. rdZ dks lgh ugh ik;k x;k gS। हम इस तरह के निष्कर्ष निकालने का कोई कारण नहीं देखते हैं। वास्तव में, ऋण का अनुदान यह भी इंगित करेगा कि प्रतिवादी (उत्तरदाता) ने दोषों को उचित रूप से स्वीकार किया जब कोई भी था और 'ks"k eky के साथ पूरा हुआ संविदात्मक विनिर्देश। इसलिए, प्रतिद्वंद्वी का न्याय करने के लिए आसपास के अन्य तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना आवश्यक है।

8. सबसे पहले, जब अपीलकर्ता ने गुणवत्ता को लेकर विवाद उठाया और इसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया था rFkk ऋण ds vuqnku }kjk blds vkpj.k esa ifjyf{kr gksrk gSaA ;g eku ysuk mfpr gksxk fd यदि कोई अन्य दोष थे और,vFkok किसी भी स्थिति में, यदि अपीलकर्ता का मामला यह था कि सामान ख़राब था ;rks mlus fdlh u fdlh rjhds ls ntZ fd;k gksxkA हालाँकि, अपीलकर्ता का तर्क है कि इस संबंध में चर्चा केवल मौखिक थी। इस मामले के तथ्यों में इस बात को स्वीकार करना मुश्किल है अपीलकर्ता के मामले में उसके fof/kd uksfVl ds fn;s x;s tokc 3 rdZ fyf[kr dFku ls fHkUu के बीच भिन्नता है वैधानिक नोटिस और उसका लिखित बयान।

9. एक और तथ्य है जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को शेष माल के संबंध में किसी भी lk[k के लिए अयोग्य ठहराता है। अपीलार्थी ने, निश्चित रूप से, माल को अपने पास रखा और वास्तव में, कंबल जैसे अपने उत्पादों के निर्माण में सिंथेटिक धागे जैसे माल का उपयोग किया। ऐसा करने के बाद, अपीलार्थी इसके लिए भुगतान करने से euk नहीं कर सकता है। यदि माल दोषपूर्ण था, तो अपीलार्थी को अस्वीकार कर देना चाहिए था।

एक izfroknh द्वारा आपूर्ति किए गए कच्चे माल का उपयोग करके प्रतिवादी, eky dks izfroknhh dks okil djuk भी संभव नहीं है

इसके अलावा, अपीलकर्ता ने कहीं भी यह तर्क नहीं उठाया कि अंतिम उत्पाद खरीदने वाले ग्राहक ने गुणवत्ता के संबंध में esa dksbZ f'kdk;r ntZ djkbZ इसके अलावा, अपीलकर्ता izfroknh }kjk vkiwfrZ fd;s x;s dPps eky ls fufeZr oLrqvksa dh fcdzh esa 'kkfey xzkgd ds lkFk ysu&nsu ds laca/k esa dksbz C;ksjk ugh fn;kA इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता को उसके कारण कोई क्षति हुई हो या अपीलकर्ता को इसके लिए भुगतान नहीं किया गया था।

10. इन परिस्थितियों में, विद्वान न्यायाधीश ने अपीलार्थी की दलीलों को सही ढंग से खारिज कर दिया। हमारी राय में, प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई प्रामाणिक विवाद नहीं उठाया गया है।

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड

215

[बी। आर. गवई, जे.]

19. इस प्रकार यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि दोनों विद्वान कंपनी न्यायाधीश vkSj डिवीजन बेंच vfHkys[k ij miyC/k rF;ksa ds foospuk djus ds ckn ikrs gS fd vihykUV ds }kjk vkiwfrZ dh x;h lkexzh ds xq.koRrk tks fd ,d after through fopkj iwoZ fopkj [k.M U;k; ihB us ;g Hkh ik;k fd tc vihykUV us xq.koRrk ij loky mBk;k rks mls izfronh ds }kjk Lohd`r fd;k x;k rFkk ;g mlds _.k lko nsus esa Hkh ifjyf{kr gksrk gSA ;g Hkh dgk x;k fd izfroknh ¼mRrjnkrk½ us vPNh rjg ls nks’k dks Lohd`r ugh

fd;kA ;g eku ysuk mfpr gksxk fd ;fn dksbZ vU; nks’k gksrs rks bls fdlh u fdlh rjhds ls ntZ fd;k tkrk A

20. साथ ही यह Hkh पाया गया कि अपीलार्थी का बचाव प्रामाणिक नहीं था और न ही ठोस था। तथ्यों पर, यह भी पाया गया कि अपीलार्थी ने विपक्ष ds nkoks dks lEHko हराने के लिए विरोधाभासी रुख अपनाया था। प्रतिवादी (उत्तरदाता) का दावा। साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलार्थी अपने द्वारा संतुष्ट तथ्यों का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहा था।

21. जहाँ तक अपीलार्थी के इस तर्क का संबंध है कि अपीलार्थी एक चालू कंपनी थी जो लाभ में चल रही थी और प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे को उसने स्वीकार नहीं किया था, यह कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है। इस संबंध में विजय इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है।

22. जहाँ तक मेडिकिप सिस्टम्स (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, उक्त मामले में यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी के दावे के संबंध में एक प्रामाणिक विवाद था। यह भी पाया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला कि ऋण प्रथम दृष्टया देय है और कंपनी द्वारा याचिका दायर करने वाले लेनदार को देय है। आगे यह पाया गया कि कंपनी अदालत के पास कंपनी को राशि जमा करने का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था bl ij fdlh frljs i{k ;k ;kfpdk nk;j djus okys ysunkj D;ksa ugh FkkA तथ्यों के आधार पर, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

23. विजय इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है बाहर, कंपनी की याचिका स्वीकार की। हालाँकि, अपील में, डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को jnn कर दिया। इस न्यायालय ने डिवीजन बेंच के आदेश को दरकिनार करते हुए इस प्रकार dgk x;k %

" 41. वर्तमान मामले में, आवेदन दाखिल करने की तारीख को, ऋण के कम से कम एक हिस्से के संबंध में बकाया जो कंपनी अधिनियम की धारा 433 [धारा 434 (1) (ए)] में निर्दिष्ट राशि से अधिक था, से इनकार नहीं किया गया था। यह कानून की आवश्यकता नहीं है कि पूरा ऋण निश्चित चाहिए। उच्च न्यायालय की खंड पीठ इस आधार पर आगे बढ़ी कि पूरे मूलधन और ब्याज दोनों को शामिल करने वाली राशि निर्विवाद होनी चाहिए, धारितः

" कंपनी की याचिका में एक गंजा आरोप लगाने के अलावा कि याचिकाकर्ता को पता चला था कि प्रतिवादी कंपनी पर अपने लेनदारों का बड़ी राशि बकाया है और vius _.k nkf;Ro dks iwjk djus dh LFkku esa ugh FkkA

इसलिए, व्यावसायिक रूप से दिवालिया होने के कारण, याचिकाकर्ता ने इसे प्रथम दृष्टया lkfcr करने के लिए आवश्यक ध्यान नहीं दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से उपलब्ध साक्षय का एकमात्र टुकड़ा यह है कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता का एक राशि का ऋणी है जो विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए दावा किया जाता है। एक पल के लिए यह मानते हुए कि प्रतिवादी कंपनी विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उसने याचिकाकर्ता को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है, क्या यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने ऋण का भुगतान करने में लापरवाही की, विशेष रूप से जब प्रतिवादी विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान के दायित्व पर विवाद कर रहा है और जब ब्याज के इस तरह के भुगतान के लिए पक्षों के बीच ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है।

42. डिवीजन बेंच ने मामले के तथ्यों पर ध्यान nsus ds प्रश्न तैयार किया कि क्या प्रतिवादी (उत्तरदाता) विलंबित भुगतानों पर प्रति माह 2 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और जब यह विवादित हो रहा है तो क्या यह प्रथम दृष्टया कंपनी की याचिका को स्वीकार करने के लिए एक वैध आधार होगा? " यह dgk गया थाः

"..... याचिकाकर्ता उन चालानों पर भरोसा करना चाहता है उनके अनुसार भुगतान के लिए नीचे एक खंड शामिल है विलंबित भुगतान पर ब्याज ds fy, ऐसा उपवाक्य,

fups ,d [kkl मानकर भी fy[kk tk, चूँकि इसे किसी ठोस lk{; से नहीं रखा गया है इस मामले में साक्षय, राजस्थान के फैसले के मद्देनजर किटप्लाई इंडस्ट्रीज मामले में उच्च न्यायालय [(1998) 91 कॉम्प केस 715 (राजस्थान)], पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता ब्याज के भुगतान के लिए dksbZ le>k ikrkA इस प्रकार, कानूनी स्थिति Lks Li"V gS fd किसी कंपनी को इस आधार पर बंद करने की मांग करने से पहले कि वह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ है, उसे lekiu U;k;ky; ds le{k fn[kk;k gksxk fd कंपनी के खिलाफ dgk gSA

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड
217

[बी। आर. गवई, जे.]

कर्ज का दावा fuf'pr Li"V gS और कंपनी भुगतान करने में विफल रही। केवल राशि का भुगतान न करने से मामला नहीं बनेगा अपेक्षित 'भुगतान करने में उपेक्षा' जैसा कि खंड (ए) धारा 434 के तहत परिकल्पित है अधिनियम की धारा 434 की उपधारा (1) A जब कंपनी नेकनीयती से दायित्व पर विवाद होता है और इसलिए बचाव किया जाता है इसके द्वारा यह सार्थक है।

iqu% dgk x;k fd

" तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए याचिकाकर्ता dk nkok nksuks पक्षों के बीच किसी भी विशिष्ट समझौते के दायरे में ugh vkrk gS विवादास्पद मुद्दा है और ब्याज के भुगतान के संबंध में विवाद प्रामाणिक है और इसलिए, यह वैध रूप से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी ने भुगतान करने की उपेक्षा की है। याचिकाकर्ता, जिसने अपनी याचिका में अन्य बातों के साथ अनुरोध किया कि किए गए व्यापार व्यवहार laca/k के अनुसार igys ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा पहले और शेष राशि, यदि कोई हो, को बाद में मूलधन के साथ समायोजित किया जाएगा, जो किसी भी प्रथम दृष्टया साक्षय द्वारा इसे स्थापित करने में विफल रहा। इस तरह के किसी भी व्यापार अभ्यास के अभाव में, पहले ब्याज के लिए राशि और मूलधन

के लिए शेष राशि, यदि कोई हो तो अनुचित हो जाती है, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता का यह दावा कि प्रतिवादी ऐसी गणनाओं के आधार पर 65,15,947 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, सही नहीं हो सकता है। कुल nkokdh x;h LFkkbZ मामले के उस दृष्टिकोण में देय संदिग्ध हो जाती है और निश्चित नहीं होती है। यह अभी भी पता लगाया जाना है कि क्या प्रतिवादी (उत्तरदाता) के दावे पर विचार किया जाना था कि foyfEor Hkqxrku ब्याज के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। भुगतान में देरी। उपरोक्त कारणों से, यह ij प्रथम दृष्टया ugh माना जाता है ldrk gS fd प्रतिवादी (उत्तरदाता) ऋण भुगतान करने में असमर्थ है "।

43. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष, सम्मान के साथ, एक से अधिक कारणों से सही नहीं हैं; पहला, क्योंकि खंड पीठ ने यह नहीं माना कि चालान ठोस lk{;ks esasa से साबित नहीं हुए थे। दूसरा, प्रमुख सबूत का सवाल उठेगा। केवल कंपनी की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद Fkh और तीसरा lk{; चालान dks tkjh gksus ij fn;s tkus dk loky mBsxk और उस पर प्रतिवादी (उत्तरदाता) के हस्ताक्षर नहीं हैं विवादित ugh gS"।

उपरोक्त का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने आगे निर्णय दिया कि अपीलार्थी भी ब्याज के भुगतान का हकदार था।

24. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि याचिका को स्वीकार करते समय यह स्थापित करना आवश्यक नहीं है कि - पूरा दावा निर्विवाद है। हम यह समझने में विफल हैं कि विजय इंडस्ट्रीज में इस न्यायालय का उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर

कैसे लागू होगा। वास्तव में, उक्त मामले में, यह न्यायालय चालान पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलार्थी भी विलंबित भुगतान पर ब्याज का हकदार था।

25. वर्तमान मामले में डिवीजन बेंच ने izfroknh ds }kjk nkok fd;s x;s C;kt ij कोई निर्देश जारी नहीं किया है प्रतिवादी (उत्तरदाता) द्वारा दावा किए गए अनुसार ब्याज प्रदान करना। इसके विपरीत, इसने इस प्रश्न में प्रवेश करने से इनकार कर दिया है कि क्या अपीलार्थी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था क्योंकि कंपनी के न्यायाधीश ने उक्त मुद्दे का उल्लेख नहीं किया था। इसलिए खंड पीठ ने अपील को खारिज करते हुए, ब्याज के संबंध में प्रतिवादी के तर्क पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा किया है, जिसका दावा या तो विद्वान न्यायाधीश के समक्ष स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के माध्यम से या अपील के माध्यम ds }kjk कोई अन्य कार्यवाही fd;k tk ldrk gSA

26. हम पाते हैं कि आई. बी. ए. हेल्थ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। उक्त मामले में, इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

" 29. विभिन्न नियमों और शर्तों का विस्तृत विश्लेषण निपटान विलेख के साथ-साथ समझौते में भी शामिल किया गया विलेख और पार्टियों द्वारा किए गए कथन, हम हैं माना जाता है कि ;g ,d वास्तविक विवाद है प्रतिवादी कंपनी द्वारा किए गए दावे की राशि कंपनी की याचिका जो सारगर्भित प्रकृति की है। कंपनी न्यायालय धारा 433 और 434 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 यह तय करने की स्थिति में नहीं होगा कि कौन के नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न करने में गलती की थी निपटान विलेख और समझौता विलेख जिसकी आवश्यकता है तथ्यों की विस्तृत जांच और साक्षयों की जांच और निपटान विलेख और दलों के बीच हुए समझौते के विभिन्न नियमों और शर्तों की व्याख्या की मांग करता है।"

27. इस न्यायालय ने माना कि कंपनी न्यायालय अपना प्रयोग करते समय कंपनी अधिनियम की धारा 433 और 434 के तहत शक्तियां नहीं होंगी यह निर्णय लेने की स्थिति में है कि इसका अनुपालन न करने में गलती किसकी है निपटान विलेख और समझौता विलेख के नियम और शर्तें। उक्त प्रकरण में तथ्यों की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि साक्षयों की जांच और विभिन्न नियमों और शर्तों की व्याख्या निपटान

विलेख और के बीच किए गए समझौते के बारे में दावे पर निर्णय देने के लिए पार्टियों का निर्णय आवश्यक था, जो नहीं किया जा सका उक्त अधिनियम की धारा 434 के तहत कार्यवाही में।

उक्त मामले में, यह यह भी देखा गया कि दावा आकस्मिक ऋण के संबंध में था पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा कर लिया गया है निपटान विलेख ds 'krksZ ds vuqlkjA

28. यहां ऐसा मामला नहीं है. तथ्यों पर, fo}ku कंपनी न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच ने पाया है कि cpko izekf.kd uSfrd ugh gSA पक्ष अपीलकर्ता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रामाणिक, नेकनीयत और ठोस है। 29. इसलिए हमारा विचार है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। वहाँ होगा

शीतल फाइबर्स लिमिटेड, वी. इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड
219

[बी। आर. गवई, जे.]

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।